न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी –अपूर्वा परवाल आर.ए.एस

प्रकरण संख्या – 67/2021

प्रार्थी –

1. मोहनसिंह परिहार पुत्र प्रेमसिंह आयु 48 वर्ष जाति माली निवासी जसवंत सागर बांध आंगणवा सिनियर सैकण्डरी स्कूल के सामने, मण्डोर, जोधपुर
2. शिवाराम परिहार पुत्र प्रेमसिंह आयु 46 वर्ष जाति माली निवासी चार खम्भा चौराहा मैन रोड नगरा पुजंला एस.बी.आई. बैंक के पास न्यू नागौर रोड जोधपुर
3. कंचन कच्छवाह पत्नी उम्मेदसिंह पुत्री प्रेमसिंह आयु 42 वर्ष जाति माली निवासी रामदेवजी की गली चांदपोल गौर जोधपुर हाल निवासी चार खम्भा चौराहा मैन रोड नगरा पुजंला एस.बी.आई. बैंक के पास न्यू नागौर रोड, जोधपुर
4. सुनिता पत्नी सुरेन्द्रसिंह कच्छवाह पुत्री प्रेमसिंह आयु 40 वर्ष जाति माली निवासी बृज बावडी गली नम्बर 1 लाल सागर मण्डोर जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. प्रेमसिंह परिहार पुत्र स्वर्गीय श्री छैलाराम जी परिहार आयु 70 वर्ष जाति माली निवासी चार खम्भा चौराहा मैन रोड नगरा पुजंला एस.बी.आई. बैंक के पास न्यू नागौर रोड जोधपुर।
2. सम्पतसिंह परिहार पुत्र प्रेमसिंह आयु 44 वर्ष जाति माली निवासी चार खम्भा चौराहा मैन रोड नगरा पुजंला, एस.बी.आई. बैंक के पास न्यू नागौर रोड जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर, तहसील जोधपुर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–: आदेश :– दिनांक 15.1.2021

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण वकील श्री रूपेश सोलंकी
2. अप्रार्थीगण संख्या 1,2 वकील श्री सुरजमल नवीन

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है :– प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 2, अप्रार्थी संख्या 1 श्री प्रेमसिंह परिहार की संतान है। अप्रार्थी संख्या 3 विवादग्रस्त खसरा सम्पति के भूमिधारी होने के कारण एक आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रेमसिंह एवं आनन्दसिंह अपने पूर्वज स्व. श्री छैलारामजी परिहार के स्वर्गवास होने के पश्चात् विधिवत नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी के अपने पैतृक कृषि भूमि के हक–हकूको के तहत प्राप्त हिस्से में काबिज हो गये तब से स्व. छैलारामजी परिहार के

वारिस मय परिवार प्राप्त उत्तराधिकारी सम्पत्ति पर काबिज थे व काश्त करते आ रहे थे। एक से अधिक सम्पतियों के होने से प्रेमसिंह और आनन्दसिंह के मध्य साम्पतिक विवाद हुआ, जिसका निस्तारण माननीय राजस्थान न्यायालय, जोधपुर महानगर द्वारा दिनांक 9.3.2016 को एकलपीठ दीवानी प्रथम अपील संख्या 282/2011 में बअनवान प्रेमसिंह बनाम आननसिंह वगैरह में एवं एकलपीठ दीवानी क्रोस ऑबजेशन 9/2012 बअनवान आननसिंह वगैरह बनाम प्रेमसिंह वगैरह में मध्यस्था जरिये राजीनामा निष्पादित कर तस्दीग कर निर्णित किया गया, इस प्रकार पक्षकारान के मध्य वाद–विवाद क अन्तिम निर्णय हुआ। पैतृक सम्पतियों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार, राजस्व रेकर्ड के अवलोकन के अनुसार एवं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 9.3.2016 को पारित राजीनामा निर्णय के अनुसार पैतृक खातेदारी कृषि भूमि में खसरा संख्या 149 वाके गांव आंगणवा पटवार क्षेत्र सुरपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर में कुल रकबा 56 बीघा 15 विस्वा के रेकर्डेड खातेदार प्रेमसिंह व उनके वारिसान को एवं आनन्दसिंह व उनके वारिसान को 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार रहेगे, निर्णित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि प्रेमसिंह व उनके परिवार और आनन्दसिंह व उनके परिवार के मध्य बराबर–बराबर विभाजन किया गया और मौके पर उसी के अनुसार काबिज है। राजस्थान उच्च न्यायायल, जोधपुर के निर्णय पारित होने के पश्चात् प्रेमसिंह एवं आनन्दसिंह ने मिलकर आपसी सहमति से बंटवारा का नामान्तकरण दर्ज करवाने बाबत आवेदन श्रीमान् तहसीलदार, जोधपुर के समक्ष राजस्व लोंक अदालत न्याय आपके द्वारा 2016 में प्रस्तुत किया, जिसके तहत बाद कार्यवाही के खाता संख्या 96 के खसरा को दो भाग में विभाजन कर प्रेमसिंह के हिस्से में खसरा संख्या 96 के खसरा को दो भाग में विभाजन कर में प्रेमसिंह के हिस्से में खसरा संख्या 149 वाके गांव आंगणवा पटवार क्षेत्र सुरपुरा, भू–अभिलेख क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर में कुल रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी बारानी प्रथम और आनन्दसिंह के हिस्से में खसरा संख्या 149/1 कुल रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी बारानी प्रथम दर्ज किया गया, जो भौतिक रूप से राजीनामा अनुसार विभाजित व तरमीम किये गये और विधिवत प्रक्रिया के अनुसरण में दिनांक 17.5.2016 को स्वीकृत कर बंटवाड़ा नामान्तकरणसंख्या 1069 को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2058–2061 तक दर्ज है। जिसकी खैवट क्षतौनी संख्या नइ 69 व पुरानी 59 है। इस प्रकार उक्त कृषि सम्पदा में पैतृक अधिकार होने के कारण सभी हितबद्ध सदस्यों की सहमति के बिना या विधिवत बंटवाड़ा/ विभाजन के बिना, यदि किसी भी प्रकार का अंतरण, हस्तान्तरण किया जाता है, तो वह अवैध होगा और यदि इस प्रकार का हस्तान्तरण हुआ हो और उसे, हस्तांतरणकर्ता के हक–हकूक –हिस्से तक वैध समझा जावेगा। प्रार्थीगण अपने हक–हकूक की कृषि भूमि का हस्तान्तरण करने हेतु सहमत नहीं हैं प्रार्थीगण उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि में निहित अपने हक व हिस्से की खातेदारी भूमि को बेचान याअन्य किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण करने का इच्छुक नहीं है और ना ही किसी प्रकार के रहन, गिरवी, अडाणे, भोगलावे इत्यादि की अनुमति प्रदान की है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 01 ता 02 सभी उपरोक्त खसरा संख्या 149 की पैतृक कृषि भूमि में हकदार हे तथा विवादग्रस्त खसरा संख्या 149 की पैतृक कृषि भूमि में हकदार है तथा विवादग्रस्त खसरा संख्या 149 के रकबा कुल भूमि 28 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी में प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण सख्या 01 ता 2 का हिस्सा 1/6 – 1/6 है, जिसे उत्तराधिकार अधिकार के तहत प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश, प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की सादीर फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के संख्या 05 में वर्णित विवादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी में बंटवाडा/विभाजन होने तक किसी भी प्रकार बेचान, अंतरण, हस्तान्तरण न तो स्वयं करे और न ही किसी और से करावे। किसी रूप में उपरोक्त खसरा संख्या 149 कृषि सम्पदा को रहन, बन्धक, गिरवी, अडाणे, भोगलावे इत्यादि ना रखे और ना रखवाये। अन्य अनुतोष जो प्रार्थीगण के पक्ष में हो पारित फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार है :– अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में अवगत कराया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय जोधपुर के समक्ष विचाराधीन रही सिविल प्राथम अपील संख्या 282/2011 एवं दीवानी क्रोस ऑब्जेक्शन केस संख्या 09/2012 आनन्दसिंह व अन्य बनाम प्रेमसिंह व अन्य का उल्लेख किया है एवम् लिखा कि इस केस के परिणामस्वरूप पक्षकारान् के मध्य वाद विवाद का अंतिम निर्णय हुआ, यदि ऐसे तथ्य सही है तो प्रार्थीगण मय प्रमाणित दस्तावेज साबित करे। प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.3.2016 का उल्लेख कर जाहिर किया कि उस निर्णय के अनुसार खसरा संख्या – 149 वाके गांव आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर वाली भूमि के प्रार्थीगण सहहिस्सेदार हैं यदि माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुसार प्रार्थीगण खसरा संख्या मौजा आंगणवा के सह हिस्सेदार हो जाते है तो प्रार्थीगण मय प्रमाणित दस्तावेज अपने तथ्य साबित करे। प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.3.2016 के प्रभाव के कारण अप्रार्थी प्रेमसिंह व आनन्दसिंह के नाम खसरा संख्या 149 मौजा आंगणवा का राजस्व रिकॉर्ड अलग अलग बन गया एवं आनन्दसिंह के पक्ष में खसरा संख्या 149 की भूमि 28 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी का राजस्व रिकॉर्ड बन गया जो खसरा संख्या 149/1 है यदि ऐसा हुआ तो प्रार्थीगण मय प्रमाणित दस्तावेज साबित करे। वाद विचारण के दौरान यदि अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का किसी भी तरह का हस्तान्तरण करना चाहे तो उस पर स्थगन आदेश जारी करने की प्रार्थना करने का अधिकार प्रार्थीगण के पक्ष में पैदा नहीं होता है इसलिये प्रार्थीगण की प्रार्थना कानूनीया रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती है। अन्य उचित आदेश जो अप्रार्थी के पक्ष में हो, पारित फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 3 बाद तामिल भी उपस्थित नहीं होने से व फोरमल पक्षकार होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

निर्णय

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 ग्राम आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 149 रकबा 28 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांशी अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम से दर्ज है। माननीय उच्चतम न्यायालय राजस्थान द्वारा एकलपीठ दीवानी प्रथम अपील संख्या 282/2011 में पारित आदेश दिनांक 9.3.2016 के अनुसार पैतृक खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 149 में प्रेमसिंह व उनके वारिसान को 1/2 हिस्सा प्राप्त होगा। अतः प्रथम दृष्टया वाद प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का अपने हक–हिस्से से ज्यादा का बेचान किया गया तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस हक तक स्वीकार किया जाता है कि मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 149 रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी के प्रार्थीगण के हक–हिस्से तक के 2/3 हिस्से तक का अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का बेचान, अंतरण, हस्तान्तरण न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। किसी भी रूप में उपर्युक्त खसरा संख्या 149 कृषि सम्पदा को रहन, बन्धक, गिरवी, अडाणे, भोगलावे इत्यादि ना रखे और ना रखवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर एक से कम होकर नत्थी मूलवाद संलग्न हो।

(अपूर्वा परवाल) **R.A.S**
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 15/1/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अपूर्वा परवाल) **R.A.S**
सहायक कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर